

भारत सरकार  
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1985  
बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

**ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत स्वीकृत परियोजनाएँ**

**1985. श्री केसिनेनी शिवनाथ:**

**श्री बी. के. पार्थसारथी:** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) योजना चरण-1 और चरण-2 चरण-वार और राज्य-वार कुल कितनी परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं;
- (ख) अनुमोदित प्रत्येक परियोजना में चरण-वार तथा राज्य-वार कितनी वास्तविक प्रगति हुई है तथा उनके पूरा होने की मूल तथा संशोधित समय-सीमा क्या है;
- (ग) क्या इन परियोजनाओं के निष्पादन में कोई विलंब देखा गया है और यदि हां, तो ऐसी विलंबित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (घ) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक अनुमोदित परियोजना के लिए स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का चरण-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इन परियोजनाओं के माध्यम से सृजित नई पारेषण क्षमता सहित चालू किए गए सब स्टेशनों तथा जोड़ी गई नवीकरणीय ऊर्जा निकासी क्षमता का चरण-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री**

**(श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

(क) और (ख) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) योजना (चरण-I और चरण-II) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या और पूरा करने की समय-सीमा, चरण-वार और राज्य-वार सहित इसकी वास्तविक प्रगति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ग) जीईसी-I के तहत, आठ राज्यों में से छह राज्यों अर्थात् राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्य ने सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों ने इन क्षेत्रों में रास्ते का अधिकार (आरओडब्ल्यू) के गंभीर मामलों के कारण समय विस्तार देने का अनुरोध किया है।

इसके अलावा, जीईसी-II कार्यान्वयन के चरण में है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक अनुमोदित परियोजना के लिए चरणबद्ध और राज्य-वार स्वीकृत और जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

ई) जीईसी I और II के तहत 9,716.6 सीकेएम पारेषण लाइनों और 24,256 एमवीए सबस्टेशन की संचयी ट्रांसमिशन क्षमता लगभग 24.6 गीगावॉट आरई क्षमता की निकासी को संभव बनाती है। सृजित की गई नई पारेषण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत स्वीकृत परियोजनाएँ’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.02.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1985 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

1. जीईसी चरण- 1 के तहत पूरा होने की समय-सीमा सहित राज्य-वार वास्तविक प्रगति

राज्य	पैकेजों की संख्या	वास्तविक प्रगति				समापन की वास्तविक समयसीमा	संशोधित समयसीमा	स्थिति
		ट्रांसमिशन लाइनों (सीकेएम)		सबस्टेशन (एमवीए)				
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि			
आंध्र प्रदेश	8	1073#	888	2157	1968^	मार्च 2020	सितम्बर 2025	Completed
गुजरात	28	1908	1636	7980	7980	मार्च 2020	दिसम्बर 2025	Requested for Extension
हिमाचल प्रदेश	14	502	499	937	893	मार्च 2020	दिसम्बर 2025	Completed
कर्नाटक	7	618	618	2702	2702	मार्च 2020	मार्च 2023	Completed
मध्य प्रदेश	8	2773	2773	4748	4748	मार्च 2020	दिसम्बर 2022	Completed
महाराष्ट्र	3	771	704	--	--	मार्च 2020	दिसम्बर 2025	Requested for Extension
राजस्थान	11	1054	984*	1915	1915	मार्च 2020	April 2021	Completed
तमिलनाडु	5	1068	1068	2250	1910^^	मार्च 2017	दिसम्बर 2022	Completed
कुल	84	9767	9170	22689	22116			

# आंध्र प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइनों का संशोधित लक्ष्य 888 सीकेएम है।

\* छोटे रूट पर कम लाइनें बनाई गईं, इसलिए ट्रांसमिशन लाइनों की अंतिम लंबाई कम रही।

आंध्र प्रदेश में ^189 एमवीए ट्रांसफार्मर निरस्त कर दिए गए।

तमिलनाडु में ^^340 एमवीए ट्रांसफार्मर निरस्त कर दिए गए।

1. जीईसी चरण- II के तहत पूरा होने की समय-सीमा सहित राज्य-वार वास्तविक प्रगति

राज्य	पैकेजों की संख्या	वास्तविक प्रगति				समापन की वास्तविक समय सीमा
		लाइन (सीकेएम)		सबस्टेशन (एमवीए)		
	कुल	संशोधित लक्ष्य	उपलब्धि	संशोधित लक्ष्य	उपलब्धि	
गुजरात	27	2570	61.9	7460	1500	मार्च 2026
हिमाचल प्रदेश	9**	337	-	352	-	मार्च 2026
कर्नाटक	10	938	309.8	1225	400	मार्च 2026
केरल	5	224	-	620	-	मार्च 2026
राजस्थान	8	659	-	2191	-	मार्च 2026
तमिलनाडु	9	624	-	2200	-	मार्च 2026
उत्तर प्रदेश	23*	2567	177.9	10440	240	मार्च 2026
कुल	91	7919	549.6	24488	2140	

\* यूपीपीटीसीएल को दिनांक 12.07.2024 को चित्रकूट में 400 केवी सबस्टेशन और संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए एक संशोधित मंजूरी जारी की गई थी, जिसे पांच पैकेजों में विभाजित किया गया था, जिससे उत्तर प्रदेश के लिए कुल 28 स्वीकृत पैकेजों में योगदान दिया गया था।

\*\* आईएनएसटीएस जीईसी चरण- II के तहत दिनांक 08.12.2025 को एचपीपीटीसीएल को एक संशोधित मंजूरी जारी की गई थी, जिसमें कुल आठ (08) पैकेज शामिल थे।

'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत स्वीकृत परियोजनाएँ' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.02.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1985 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

1. जीईसी चरण-I के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक अनुमोदित परियोजना के लिए स्वीकृत और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	स्वीकृति राशि (करोड़ रुपये)	पिछले 5 वर्षों में जारी की गई राशि (करोड़ रुपये)				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	361.25	-	-	47.535	11.874	11.621
गुजरात	746.40	-	27.966	23.849	17.770	-
हिमाचल प्रदेश	237.28	-	4.027	40.495	-	-
कर्नाटक	326.50	-	17.503	80.456	-	-
मध्य प्रदेश	655.09	73.158	96.7658	22.263	-	-
महाराष्ट्र	67.49	-	5.081	-	-	-
राजस्थान	241.35	2.253	10.848	53.735	-	-
तमिलनाडु	529.34	59.259	87.810	-	10.468	
<b>कुल</b>	<b>3164.70</b>	<b>134.67</b>	<b>250</b>	<b>268.33</b>	<b>40.112</b>	<b>11.621</b>

1. जीईसी चरण-II के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक अनुमोदित परियोजना के लिए स्वीकृत और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	स्वीकृति राशि (करोड़ रुपए)	पिछले 5 वर्षों में प्रदान की गई राशि (करोड़ रुपये)				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
गुजरात	1200.12	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	161.53	-	-	-	-	-
कर्नाटक	341.96	-	-	66.666	24.650	17.465
केरल	138.71	-	-	-		49.280
राजस्थान	290.70	-	-	-		
तमिलनाडु	237.52	-	-	-		
उत्तर प्रदेश	1576.80	-	-	-	292.930	605.125
<b>कुल</b>	<b>3947.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.666</b>	<b>317.58</b>	<b>671.87</b>

'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत स्वीकृत परियोजनाएँ' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.02.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1985 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

जीईसी चरण I और चरण II के तहत सबस्टेशन और नवीकरणीय ऊर्जा निकासी का राज्य-वार विवरण

क्रं सं	राज्य	जीईसी-I	
		सबस्टेशन (एमवीए)	नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निकासी मेगावाट
1	आंध्र प्रदेश	1968 <sup>^</sup>	2370.70
2	गुजरात	7980	2992
3	हिमाचल प्रदेश	893	552.15
4	कर्नाटक	2702	4343.05
5	मध्य प्रदेश	4748	4283.52
6	महाराष्ट्र	--	1038
7	राजस्थान	1915	5798.40
8	तमिलनाडु	1910 <sup>^^</sup>	3190
	<b>कुल</b>	<b>22116</b>	<b>24,567.82</b>

आंध्र प्रदेश में <sup>^</sup>189 एमवीए ट्रांसफार्मर निरस्त कर दिए गए।

तमिलनाडु में <sup>^^</sup>340 एमवीए ट्रांसफार्मर निरस्त कर दिए गए।

जीईसी II : जीईसी-II के तहत राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कोई आरई क्षमता निकासी नहीं की गई है, हालांकि गुजरात में 1500 एमवीए, कर्नाटक में 400 एमवीए और उत्तर प्रदेश में 240 एमवीए की कुल सबस्टेशन क्षमता स्थापित की गई है।

\*\*\*\*\*